



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2009/भाद्र 6, 1931

No. 479]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2009/BHADRA 6, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

(Department of Health and Family Welfare)

शुद्धि-पत्र

CORRIGENDUM

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2009

New Delhi, the 28th August, 2009

सा.का.नि. 607(अ)—दिनांक 22 जनवरी, 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 36, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ संख्या 1 पर प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46(अ) में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (2) में छपे "छह महीने के बाद" शब्दों को "एक वर्ष के बाद" के रूप में पढ़ा जाए।

G.S.R. 607(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 46(E) dated the 22nd January, 2009 published at page 2 of the Gazette of India No. 36, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 22nd January, 2009, the words "after six months", appearing in sub-clause (2) of Clause 1 of the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 2009, may be read as "after one year".

[फा. सं. एक्स-11014/5/2005-डीएफक्यूसी]

[F. No. X-11014/5/2005-DFQC]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.